# प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

## परिशिष्ट 'अट्ठावन'

[ 4/3/2016]

प्रश्न सं. [ क्र. 4225 ]

विधान सभा प्रश्न क्र. 4225 (अतारांकित) का प्रश्नांश ख का परिशिष्ट - 1

VPN ID No. .......... Date

## संचालनालय महिला सशक्तिकरण म.प्र.

खण्ड-2, चतुर्थ तल, पर्यावास भवन, भोपाल(मध्यप्रदेश)

भोपाल, दिनांक 6.6.

क्र./ WE /डी.डी.ओ..बजट/15-16/ 126

प्रति,

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी
महिला सशक्तिकरण, सर्व संबंधित संलग्न सूचीनुसार, म.प्र.

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में मांग संख्या 55-2235-02-103-0101-5067-लाडली लक्ष्मी योजना के 51-अन्य प्रभार मद अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम त्रैमास हेतु बजट आबंटन।

विषयार्न्तगत वित्त विभाग से प्राप्त संसूचना क्रमांक-57/2015/चार/ब-5 दिनांक 31.3.15 एवं आयुक्त महिला सशक्तिकरण के आदेशानुसार **लाडली लक्ष्मी योजना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में लाडली लक्ष्मी योजना के प्रकरणों को वेबसाईट पर आनलाईन दर्ज किया जाना है । इस हेतु हितग्राही के आवेदन प्रविष्टि करना, डाक्यूमेंट स्कैन कर चढाये जाने तथा प्रमाण पत्र रंगीन प्रिंट कर लेमिनेट अथवा प्लास्टिक फोल्डर में प्रदाय करने हेतु राशि रू.30/-प्रति हितग्राही के मान से जिलों को कुल राशि रूपये 90,91,770/-(रूपये नब्बे लाख इक्यानवे हजार सात सौ सत्तर मात्र)** का बजट आबंटन निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है:-

1. **आबंटित राशि का व्यय मांग संख्या 55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02-समाज कल्याण 103-महिला कल्याण 0101 -राज्य आयोजना 5067 लाडली लक्ष्मी योजना के 51-अन्य प्रभार मद अन्तर्गत विकलनीय होगा ।**
2. आवंटन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक-57/2015/चार/ब-5 दिनांक 31.3.15 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।
3. आबंटित राशि का व्यय करते समय शासन के निर्देशों, म.प्र. कोष संहिता, वित्त संहिता, भंडार क्रय नियम एवं संचालनालय से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों एवं मितव्ययता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।
4. यह भी सुनिश्चित किया जावें कि, प्राप्त आवंटन का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में करना सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान शतप्रतिशत राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें ।
5. किसी भी प्रकार के अनियमित आहरण एवं व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की रहेगी ।
6. किसी भी दशा में आबंटन की प्रत्याशा में राशि का व्यय न किया जावे, इस प्रकार व्यय की गई राशि का संचालनालय से बंटन जारी न होने की दशा में संबंधित अधिकारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
7. यदि किसी योजना अथवा मद अर्न्तगत आबंटित की गई राशि की आवश्यकता न हो तो उस राशि को संचालनालय को समर्पित किया जावे । समर्पित की गई राशि को संबंधित कोषालय के कम्प्यूटर में भी दर्ज कराया जाये तथा समर्पित की गई राशि की कोषालय की आई.डी. क्रमांक, दिनांक एवं राशि की जानकारी एक्सेल शीट में पृथक से भी उपलब्ध कराई जावे । केवल आहरण संवितरण अधिकारी के द्वारा राशि समर्पित किये जाने से समर्पण मान्य नहीं किया जावेगा ।
8. बंटित राशि के व्यय के आंकडों का समय-समय पर दी गई समय सारणी के अनुसार महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में दर्ज आंकडों से मिलान किया जावें तथा स्थानान्तरण प्रविष्ठि की एक प्रति महालेखाकार कार्यालय में पदस्थ विभागीय मिलान दल एवं एक प्रति संचालनालय को भी अनिवार्य रूप से दी जावें ।
9. आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं में मांगे जाने वाले अतिरिक्त आबंटन के प्रस्ताव बजट मे आबंटित मदों के अनुरूप ही प्रस्तुत किये जावे । बजट की मदों से भिन्न मदों में चाहे गये आबंटन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा

( आयुक्त द्वारा अनुमोदित )

(पंकज मोहन)
वित्त सलाहकार
महिला सशक्तिकरण, म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल



5067 -Plan-2015-16.doc

VPN ID No.................. Date

भोपाल, दिनांक

/WE/डी.डी.ओ_बजट/15–16/127

... की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन महिला बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जिला कलेक्टर संबंधित जिला म.प्र., की ओर सूचनार्थ ।
5. संभागीय उप संचालक महिला सशक्तिकरण म.प्र., की ओर सूचनार्थ ।
6. कोषालय/उप कोषालय अधिकारी अधिकारी, संबंधित म.प्र., की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. बजट शाखा मुख्यालय की ओर दो प्रतियो में कोष एवं लेखा के सर्वर में आबंटन प्रेषित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वित्त सलाहकार

महिला सशक्तिकरण, म.प्र.

अनुभाग अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

मंत्रालय, भोपाल



5067 -Plan-2015-16.doc

लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि (55-2235-5067-51 अन्य प्रभार)

| | जिला | 2014-15 Progres | 2015-16 Progres | 2014-15 + 2015- | दी जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बालाघाट | 8054 | 805 | 8859 | 265770 |
| 2 | बडवानी | 4154 | 415 | 4569 | 137070 |
| 3 | बैतूल | 6175 | 618 | 6793 | 203790 |
| 4 | भिण्ड | 4316 | 432 | 4748 | 142440 |
| 5 | भोपाल | 7977 | 798 | 8775 | 263250 |
| 6 | छतरपुर | 5996 | 600 | 6596 | 197880 |
| 7 | छिन्दवाडा | 9580 | 958 | 10538 | 316140 |
| 8 | दमोह | 2821 | 282 | 3103 | 93090 |
| 9 | दतिया | 2982 | 298 | 3280 | 98400 |
| 10 | देवास | 6910 | 691 | 7601 | 228030 |
| 11 | धार | 11290 | 1129 | 12419 | 372570 |
| 12 | डिण्डौरी | 3150 | 315 | 3465 | 103950 |
| 13 | गुना | 4809 | 481 | 5290 | 158700 |
| 14 | ग्वालियर | 6427 | 643 | 7070 | 212100 |
| 15 | हरदा | 1657 | 166 | 1823 | 54690 |
| 16 | होशंगाबाद | 6208 | 621 | 6829 | 204870 |
| 17 | इन्दौर | 12730 | 1273 | 14003 | 420090 |
| 18 | जबलपुर | 10288 | 1028 | 11316 | 339480 |
| 19 | झाबुआ | 3880 | 388 | 4268 | 128040 |
| 20 | कटनी | 4872 | 487 | 5359 | 160770 |
| 21 | खण्डवा | 3539 | 354 | 3893 | 116790 |
| 22 | खरगौन | 6403 | 640 | 7043 | 211290 |
| 23 | मण्डला | 4864 | 486 | 5350 | 160500 |
| 24 | मंदसौर | 4637 | 464 | 5101 | 153030 |
| 25 | मुरैना | 6218 | 622 | 6840 | 205200 |
| 26 | नरसिंहपुर | 6485 | 648 | 7133 | 213990 |
| 27 | नीमच | 3093 | 309 | 3402 | 102060 |
| 28 | पन्ना | 4512 | 451 | 4963 | 148890 |
| 29 | रायसेन | 5117 | 512 | 5629 | 168870 |
| 30 | राजगढ | 5119 | 512 | 5631 | 168930 |
| 31 | रतलाम | 5054 | 505 | 5559 | 166770 |
| 32 | रीवा | 8550 | 855 | 9405 | 282150 |
| 33 | सागर | 9586 | 958 | 10544 | 316320 |

बाल विकास
भोपाल